पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

रोवर तकनीक से होगी भूमि की सटीक पैमाइश, किसानों को मिलेंगे विवादमुक्त स्वामित्व के अधिकार

उत्तर प्रदेश सरकार का 01 जुलाई से 15 अगस्त तक विशेष अभियान, प्रत्येक तहसील में उपलब्ध रहेंगे रोवर उपकरण

लखनऊ : 01 जुलाई, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि पैमाइश व्यवस्था को पारदर्शी, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए धारा–24 के अंतर्गत 1 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक राज्यव्यापी रोवर आधारित पैमाइश अभियान प्रारंभ किया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य किसानों एवं आम नागरिकों को भूमि की इंच–इंच की सटीक, निष्पक्ष एवं पारदर्शी पैमाइश उपलब्ध कराना है, जिससे राजस्व संबंधी विवादों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक तहसील में अत्याधुनिक रोवर उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इन उपकरणों की सहायता से भूमि की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक एवं डिजिटल तरीके से निर्धारण किया जाएगा। पारंपरिक पैमाइश की तुलना में यह तकनीक अधिक तेज, सटीक और विश्वसनीय है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना नगण्य रहेगी तथा राजस्व अभिलेखों की शुद्धता भी बढ़ेगी।

रोवर आधारित पैमाइश से सीमा विवादों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण संभव होगा। साथ ही अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी और किसानों को उनकी भूमि पर स्पष्ट एवं सुरक्षित अधिकार प्राप्त होंगे। यह पहल राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी किसानों एवं भूमि स्वामियों से अपील की है कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ तथा निर्धारित अवधि में अपनी भूमि की पैमाइश कराकर सही अभिलेख सुनिश्चित करें। अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट uphbhulekh.gov.in तथा राजस्व परिषद के पोर्टल bor.up.gov.in पर उपलब्ध है।

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

राघवेन्द्र / 05:10 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in